न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, क्रम–1, जयपुर महानगर द्वितीय

पीठासीन अधिकारी : विनोद कुमार गुप्ता-II, RJS

दाण्डिक निगरानी संख्या : 32/2025

अशोक व्यास पुत्र स्व. जगन्नाथ व्यास, उम्र–65 वर्ष, निवासी प्लॉट सं. 24, स्वर्णपुरी, कनकपुरा, सिरसी रोड, जयपुर 302034 राज.।

––निगरानीकार/परिवादी

बनाम

1– श्रीमती करिश्मा पुत्री स्व. बृजकिशोर पत्नी जगमोहन व्यास, उम्र–33 वर्ष

2– सचिन पुत्र स्व. बृजकिशोर, उम्र–45 वर्ष

3– श्रीमती आशा पत्नी स्व. बृजकिशोर, उम्र–55 वर्ष

निवासीगण प्लॉट सं. 28, पार्क व्यू कॉलोनी, एन.बी.सी. के पास, हसनुपरा, तहसील व जिला जयपुर।

––गैर निगरानीकार

दाण्डिक निगरानी याचिका विरूद्ध आदेश दिनांक 23–04–2025, परिवाद संख्या 72/24, सीआईएस संख्या 32033/24, अशोक व्यास बनाम करिश्मा व अन्य, धारा 420, 467, 468, 471, 406, 193, 384, 389, 506 भा.द.सं., न्यायालय अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम–4, जयपुर महानगर द्वितीय, पीठासीन अधिकारी श्री लव प्रजापति, आरजेएस

उपस्थित :–

1– श्री विनोद शर्मा व निकिता मीरचंदानी, विद्वान अधिवक्तागण, निगरानीकार/परिवादी की ओर से।

2– श्री अशोक देवानी, विद्वान अधिवक्ता, गैर निगरानीकार की ओर से।

–आदेश– दिनांक : 21–07–2026

1 उक्त दाण्डिक निगरानी याचिका विद्वान विचारण न्यायालय अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, क्रम–4, जयपुर महानगर द्वितीय के प्रकरण परिवादी संख्या 72/24 परिवादी अशोक व्यास में पारित आलौच्य आदेश दिनांक 23–04–2025 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि परिवादी अशोक व्यास ने करिश्मा शर्मा, सचिन व आशा शर्मा के विरूद्ध परिवाद इन तथ्यों का प्रस्तुत किया कि अभियुक्त संख्या–1 उसकी पुत्रवधू तथ अभियुक्त संख्या 2 व 3 उसका भाई व मां हैं, जिन्होंने षडयंत्र के तहत परिवादी के पुत्र जगमोहन व्यास की शादी अभियुक्त संख्या–1 करिश्मा के साथ दिनांक 14–11–21 को सम्पन्न कराई तथा कुछ समय बाद अभियुक्त संख्या–1 के जरिये परिवादी व उसके घरवालों की चल व अचल सम्पत्ति उनके नाम हस्तांतरण करने का दबाव डालते रहे और इंकार करने पर उनको डराने धमकाने लगे और दहेज व घरेलु हिंसा के झूठे मुकदमो में फसाने की धमकियॉ देने लगे और सामाजिक रूप से प्रार्थी व उसके परिवार वालों को बदनाम करना शुरू कर दिया और परिवादी व उनके परिवार वालों से उनकी चल व अचल सम्पत्ति उनके नाम करवाने व 22 लाख रुपये की अवैध मांग की और साजिश के

तहत झूठे मुकदमे संख्या 239/24 सरकार बनाम जगमोहन व घरेलु हिंसा का मुकदमा संख्या 587/23 करिश्मा शर्मा बनाम जगदीश वगै. धारा 12 डी.वी. एक्ट 2006 दर्ज करवाए। दहेज के मुकदमा संख्या 239/24 में दर्ज एफआईआर संख्या 60/24 में पुलिस ने परिवादी व उसके परिवार वालों पर लगाये गये दहेज प्रताड़ना व दहेज खुर्द–बुर्द किये जाने तथा मारपीट आदि के आरोप असत्य व बनावटी पाये।

3 दहेज के मुकदमे में अभियुक्तगण की ओर से एक झूठी दहेज की लिस्ट पेश की गई है तथा बकाया स्त्रीधन की लिस्ट दिनांक 28–2–24 को पेश की है, जिसमें गृह प्रवेश का सामान तथा रिटायरमेंट का सामान, जो कि करिश्मा व जगमोहन के विवाह से संबंधित ना होने के बावजूद भी उसे स्त्रीधन बताकर उससे नाजायज मांग की है, जो कि अभियुक्तगण के झूठ व फर्जीवाड़े को साबित करता है। अभियुक्तगण ने पुलिस द्वारा डरा–धमकाकर परिवादी की पत्नी की चांदी की पायल की जोड़ी तथा पैरों की चांदी की बिछिया प्राप्त की है तथा इन आभूषणों को खुर्द–बुर्द कर दिया है।

4 चूंकि घरेलु हिंसा के मुकदमे के तथ्य व दहेज प्रताड़ना के मुकदमे के तथ्य एक समान हैं, इस कारण घरेलु हिंसा का मुकदमा भी स्वयमेव झूठा व बनावटी साबित है। परिवादी व उसके परिवार वालों ने इस संबंध में कानूनी नोटिस दिनांक 7–5–24, 18–5–24 तथा 21–5–24 अभियुक्तगण को प्रेषित किये, जो उन्हें प्राप्त हो गये, परन्तु उन्होंने ना तो उक्त नोटिस का जवाब दिया व नोटिस की पालना की। जिससे साबित है कि अभियुक्तगण ने परिवादी व उनके परिवार वालों को हैरान परेशान व ब्लेकमेल करने हेतु दहेज प्रताड़ना व घरेलु हिंसा के झूठे मुकदमे दर्ज कराये हैं।

5 अभियुक्तगण ने दहेज प्रताड़ना व घरेलु हिंसा के उक्त दोनों मुकदमो में न्यायालय व पुलिस के समक्ष झूठे व फर्जी परिवाद पत्र झूठे बयान तथा झूठे व फर्जी शपथ–पत्र बदनीयतीपूर्वक पेश किये तथा इनके आधार पर प्रार्थी व उनके परिवार वालों को ब्लेकमेल किया है तथा उनके साथ धोखाधड़ी व अमानत में खयानत व जान–माल की क्षति की धमकी दिये जाने के अपराध कारित किये हैं तथा प्रार्थी व परिवार वालों से डरा धमकाकर रुपये व गिफ्ट प्राप्त किये हैं तथा शादी में 15 लाख रुपये का खर्चा करवाकर गैर कानूनी रूप से नुकसान पहुॅचाया है, जो कि धारा 420, 406, 467, 468, 471, 120बी, 193, 384, 389, 506 भा.द.सं. के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अतः परिवाद स्वीकार कर सभी अभियुक्तगण को उक्त धाराओं में दण्डित किया जाए।

6 परिवाद विचारण न्यायालय में पेश होने पर बाद अवलोकन परिवाद को धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत वास्ते अन्वेषण हेतु उचित नहीं पाये जाने पर, विचारण न्यायालय में गवाह सी.डी.–1 परिवादी अशोक व सी.डी.–2 ललीता के बयान कराये। इस प्रक्रम पर दिनांक 29–10–24 को विचारण न्यायालय द्वारा परिवाद की छाया प्रति को धारा

202 द.प्र.सं. के तहत थानाधिकारी सदर, जयपुर को वास्ते अन्वेषण प्रेषित कर रिपोर्ट प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया। इस पर पुलिस थाना सदर की ओर से प्रकरण में रिपोर्ट धारा 202 द.प्र.सं. के तहत विचारण न्यायालय में प्रस्तुत कर जांच में पाया गया कि मामला अशोक व्यास व उसके परिवारजनों को शारीरिक, मानसिक व आर्थिक रूप से शोषण करने व सामाजिक रूप से बदनाम करने का नहीं पाया गया है। दोनों पक्षों के बीच भिन्न–भिन्न न्यायालयों में चल रहे वादों के कारण एक–दूसरे पर दबाव बनाने से उत्पन्न हुए विवाद का मामला पाया गया है।

7 उक्त रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत होने पर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा बहस सुनी जाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद को आदेश दिनांक 23–04–2025 के जरिये खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर यह निगरानी, निगरानीकार/परिवादी द्वारा प्रस्तुत की गई।

8 दौराने बहस निगरानीकर्ता/परिवादी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा विधि द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतो व तथ्यों के विपरीत आलौच्य आदेश पारित किया गया है। परिवादी व उसकी पत्नी ने अपने बयान दर्ज करवाये, जिससे साबित है कि अभियुक्तगण ने फर्जी एवं झूठे दहेज उत्पीड़न एवं घरेलु हिंसा के झूठे मुकदमे दर्ज कराये हैं तथा इनके जरिये प्रार्थी/परिवादी एवं उनके घरवालों को शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक रूप से उत्पीड़न किया है। परिवादी को पुलिस जांच हेतु भेजने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि पुलिस थाना महिला जयपुर द्वारा उक्त प्रकरण में पहले से ही जांच की जा चुकी थी, जिसमें निष्कर्ष पाया गया कि अभियुक्तगण ने परिवादी एवं उसके घरवालों पर दहेज उत्पीड़न एवं घरेलु हिंसा के झूठे आरोप लगाये हैं तथा पुलिस थाना सदर ने यह निष्कर्ष निकाल दिया कि परिवादी की कोई शारीरिक, मानसिक, आर्थिक एवं सामाजिक रूप से कोई प्रताड़ना/मानहानि नहीं हुई है। अभियुक्तगण ने झूठा परिवाद पेश किया एवं झूठी गवाही पेश की है और अभियुक्तगण के द्वारा फर्जीवाड़ा किये जाने के पर्याप्त सबूत थे। निगरानीकार परिवादी ने पुलिस द्वारा पेश जांच रिपोर्ट अस्वीकार कर विचारण न्यायालय के आदेश को अपास्त करने का निवेदन किया। अपने तर्कों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये :–

1- (2009) 8 Supreme Court Cases 751 Mohammed Ibrahim and others Vs State of Bihar and another.
2- 1972 Cri. L.J. 34 Mahendra Singh Vs State of Raj.
3- AIR 1984 SC 1108 State of U.P. Vs Suresh Chandra Srivastave and others.
4- AIR 1968 Madaras 349 Daniel Hailey Walcott and another Vs State.
5- AIR 1987 SC 821 Bank of India Vs Yeturi Meredi Shanker Rao and another.
6- 1992 CRI. L.J. 2601 Galla Nageswara Rao Vs State of A.P.
7- AIR 1993 SC 2322 Manjur Faiju Inamdar Vs State of Maharashtra.
8- (1984) 3 SCC 92 State of U.P. Vs Suresh Chandra Srivastava and others.

9- AIR 1967 Mysore 59 IN RE, S. V. Rama Rao.

10- 1981 Cri. L. J. 1019 State of Karnataka Vs Hema reddy and another.

9 विद्वान अपर लोक अभियोजक व गैर निगरानीकार/आरोपीगण ने विचारण न्यायालय द्वारा दिये आदेश को पुष्ट करने का निवेदन किया और कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा विधिसम्मत आदेश पारित किया गया है और परिवादी द्वारा लगाये गये आरोपो के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है।

10 उभयपक्ष को सुना गया। निगरानी मीमो, विचारण न्यायालय की पत्रावली तथा आलौच्य आदेश 23–04–25 का अवलोकन किया गया। निगरानी याचिका के निस्तारण के लिए इस न्यायालय को यह देखना है कि :–

''क्या विद्वान विचारण न्यायालय का आलोच्य आदेश दिनांक 23–04–25 अशुद्ध, अवैध व औचित्यहीन है तथा विधि के प्रावधानों के विपरीत जाकर पारित किया गया है?''

11 परिवादी द्वारा मान. उच्च न्यायालयों व मान. उच्चतम न्यायालय के प्रस्तुत सम्माननीय न्यायिक दृष्टांतो में मुख्यतः यह अभिनिर्धारित किया गया है कि सिविल प्रकृति के विवादों में आपराधिक परिवाद पेश करना प्रक्रिया का दुरूपयोग है तथा कपटपूर्वक व बेईमानी से कूटरचित दस्तावेज को असली के रूप में उपयोग करने से कूटरचना का अपराध बनता है।

12 परिवादी द्वारा विचारण न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत कर स्वयं परिवादी अशोक व्यास के बयान सी.ड.–1 तथा ललिता के बयान सी.ड.–2 के रूप में कराये और परिवाद में अंकित तथ्यों की पुनरावृत्ति की है।

13 विचारण न्यायालय के समक्ष हुए बयानो में परिवादी अशोक ने कथन किया है कि 14–11–21 को उसके लड़के जगमोहन की शादी करिश्मा शर्मा के साथ हुई थी और शादी के बाद ही आशा, सचिन व उसकी पुत्र वधू, उसकी चल अचल सम्पति को अपने नाम कराने का दबाव डालने लग गये तथा उसकी सम्पत्ति उनके नाम करने से इंकार करने पर उनके द्वारा दहेज व घरेलु हिंसा के झूठे प्रकरण दर्ज करा दिये और उसे व उसके परिवार को बदनाम करने लग गये और शारीरिक, मानसिक व आर्थिक रूप से शोषण करने लगे। और पुलिस केस में दहेज की मांग व उसके साथ मारपीट नहीं पाई गई। उसकी पत्नी का एक मंगलसूत्र व बिछिया करिश्मा शर्मा अपने साथ ले गई और उनसे जब मांगा तो उन्होंने देने से मना कर दिया। इसी प्रकार के कथन परिवादी की पत्नी सी.ड.–2 ललिता ने किये हैं।

14 पुलिस द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट में यह पाया गया है कि दोनों पक्षों के बीच भिन्न–भिन्न न्यायालयों में चल रहे वादों के कारण एक–दूसरे पर दबाव बनाने से उत्पन्न हुए विवाद का मामला पाया गया है और विचारण न्यायालय ने गैर निगरानीकारान् के विरूद्ध

पर्याप्त आधार कार्यवाही करने के सम्बन्ध में विद्यमान नहीं होने के कारण परिवाद खारिज किया गया है।

15 पत्रावली का अवलोकन करने से पुलिस द्वारा किये गये अन्वेषण से भी जाहिर होता है कि परिवादी अशोक व्यास के बेटे जगमोहन की शादी वर्ष 2021 में आशा शर्मा की पुत्र करिश्मा के साथ हुई थी और शादी के करीब एक साल बाद ही दोनों परिवारों में दहेज की मांग को लेकर व अन्य पारिवारिक बातों को लेकर आपसी विवाद शुरू हो गया और करिश्मा अपनी माता–पिता के पास रहने लग गई और इस दौरान जगमोहन ने धारा 9ए का वाद फैमिली कोर्ट में किया, जिसे वापस लेकर धारा 13 का वाद कर दिया, जो विचाराधीन है और इसके उपरान्त करिश्मा ने धारा 498–ए व 406 भा.द.स. तथा घरेलु हिंसा के प्रकरण दर्ज कराये। धारा 498–ए व 406 भा.द.सं. के प्रकरण में पुलिस ने परिवादी अशोक व्यास व उसकी पत्नी के विरूद्ध एफ.आर. प्रस्तुत करते हुए प्रकरण में उसके पुत्र जगमोहन के विरूद्ध आरोप–पत्र पेश किया है। साथ ही अभियुक्ता करिश्मा द्वारा प्रस्तुत घरेलु हिंसा का प्रकरण भी उसकी अनुपस्थिति में खारिज किया गया है।

16 इस प्रकार दोनों पक्षों के मध्य पूर्व से मुकदमेबाजी चल रही है और परिवादी का तर्क है कि पुलिस ने धारा 498–ए व धारा 406 भा.द.सं. का प्रकरण उनके विरूद्ध नहीं बनना पाया है, इसलिये परिवादिया के विरूद्ध धारा 420, 406, 467, 468, 471, 120बी, 193, 384, 389, 506 प्रसंज्ञान लिया जाकर कार्यवाही की जाए, जो कि न्यायोचित प्रतीत नहीं होता, क्योंकि प्रकरण में परिवादी के पुत्र के विरूद्ध पुलिस ने प्रकरण बनना मानते हुए आरोप–पत्र प्रस्तुत किया है और किसी के विरूद्ध प्रकरण बनना नहीं पाया है।

17 परिवादी का यह कथन कि अभियुक्तगण ने षडयंत्र करके करिश्मा की शादी उसके पुत्र के साथ करवायी है तो इस संबंध में कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं किया। अभियुक्तगण ने किस प्रकार से परिवादी को प्रवंचित किया, परिवादी की क्या चल–अचल सम्पत्ति रही, जिसे अभियुक्तगण हड़पना चाहते थे, उसका भी कोई स्पष्ट उल्लेख परिवादी ने नहीं किया है, ना ही इस संबंध में परिवादी ने अपने पुत्र को ही न्यायालय के समक्ष पेश कर परीक्षित करवाया है। मात्र परिवादी के मौखिक कथनों से नहीं माना जा सकता कि अभियुक्तगण ने षडयंत्र करके करिश्मा की शादी परिवादी के पुत्र से करवायी हो। जहां तक अभियुक्तगण द्वारा परिवादी के विरूद्ध क्रूरता तथा घरेलु हिंसा के तहत मुकदमा दर्ज कराने का प्रश्न है तो यदि अभियुक्ता ने विद्वेषपूर्ण तरीके से परिवादी के विरूद्ध अभियोजन का संचालन किया है तो इस सम्बन्ध में परिवादी नियमानुसार सक्षम सिविल न्यायालय में कार्यवाही कर सकता है। मात्र परिवादी के विरूद्ध क्रूरता व घरेलु हिंसा का मुकदमा दर्ज कराने से ही यह नहीं माना जा सकता है कि अभियुक्तगण ने किसी दस्तावेज की कूटरचना की हो। जहां तक अभियुक्तगण द्वारा स्त्रीधन की लिस्ट पेश किये जाने का प्रश्न है तो उस लिस्ट में वर्णित सामान परिवादी का रहा हो, ऐसी कोई ठोस साक्ष्य परिवादी की ओर से प्रस्तुत नहीं की गई

है, ना ही कोई पारिवारिक सदस्य या स्वतंत्र व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष परीक्षित करवाया है। अभियुक्तगण ने परिवादी को डरा–धमकाकर कोई सम्पत्ति प्राप्त की हो, ऐसी भी कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। मात्र परिवादी के मौखिक कथनों के आधार पर ही उक्त तथ्य प्रथम दृष्ट्या स्थापित नहीं माने जा सकते हैं।

18 विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–04–25 को किसी भी दृष्टि से शुद्धता, वैधता एवं औचित्य के बिन्दु के विपरीत नहीं माना जा सकता। अतः ऐसी स्थिति में निगरानी अस्वीकार कर खारिज किये जाने योग्य है।

–: आदेश :–

19 अतः निगरानीकार/परिवादी अशोक व्यास की ओर प्रस्तुत यह निगरानी याचिका विरूद्ध आलौच्य आदेश दिनांक 23–04–2025 अस्वीकार कर खारिज की जाती है और विचारण न्यायालय का आदेश पुष्ट किया जाता है। आदेश की प्रति मय अभिलेख विद्वान विचारण न्यायालय को प्रेषित हो।

(विनोद कुमार गुप्ता-II)
अपर सत्र न्यायाधीश, क्रम 01,
जयपुर महानगर द्वितीय

20 आदेश आज दिनांक 21–07–26 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(विनोद कुमार गुप्ता-II)
अपर सत्र न्यायाधीश, क्रम 01,
जयपुर महानगर द्वितीय